मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 30.01.2026

थाना संतनगर पुलिस द्वारा गौशाला में संरक्षित गैवंशों की तस्करी करने वाले ग्राम प्रधान सहित 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—

"सोमेन बर्मा" पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के क्रम मे जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में थाना सन्तनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-09/2026 धारा 3/5a/5b/8 गोवध निवारण अधिनियम के अभियोग में बड़ी कार्यवाही करते हुए आज दिनांकः 30.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार थाना सन्तनगर मय पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सन्तनगर क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित 03 नफर अभियुक्त 1.श्याम बहादुर पटेल पुत्र स्व0 हीरालाल पटेल निवासी सोनबरसा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर (ग्राम-प्रधान), 2. दिलीप कुमार राम उर्फ सुभाष पुत्र रकसू निवासी उमापुर थाना भगवानपुर जनपद कैमूर (भभूआ) बिहार व 3. राजेश कोल पुत्र स्व0 जीरा कोल निवासी उरुवा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त श्याम बहादुर पटेल ग्राम-सोनबरसा का ग्राम-प्रधान है, ग्राम प्रधाना श्याम बहादुर व उसके पूत्र द्वारा गौ-तस्करो के साथ मिलकर ग्राम सोनबरसा स्थित गौशाला से अपने आर्थिक लाभ के लिये अवैध तरीके से व अवैध कार्य के लिये गौवंशों को बेच दिया जाता था तथा ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल द्वारा बताया गया कि एक राजनैतिक पार्टी का जिला-अध्यक्ष भी है। पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों —

1.श्याम बहादुर पटेल पुत्र स्व0 हीरालाल पटेल निवासी सोनबरसा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर (ग्राम-प्रधान)।

2. दिलीप कुमार राम उर्फ सुभाष पुत्र रकसू निवासी उमापुर थाना भगवानपुर जनपद कैमूर (भभूआ) बिहार।

3. राजेश कोल पुत्र स्व0 जीरा कोल निवासी उरुवा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-09/2026 धारा 3/5a/5b/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास- (श्याम बहादुर-ग्राम प्रधान, उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 251/2021 धारा 186,323,427,405,406 भादवि थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास- (दिलीप कुमार राम, उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 334/2023 धारा 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि. थाना कोराव जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 134/2024 धारा 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि. थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 3(1)गैंगेस्टर एक्ट थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मय पुलिस टीम थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर।

उप निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक दिनेश कुमार श्रीवास्तव व उप निरीक्षक रामकृपाल यादव मय पुलिस टीम।